कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया

(जिला स्थापना शाखा)

आदेश

अनुमंडल पदाधिकारी खगड़िया के पत्रांक–Xi-17/16–959/अनु0 सा0 दिनांक–09.05.2016 के द्वारा श्री राजपति पासवान राजस्व कर्मचारी अंचल कार्यालय, खगड़िया के विरूद्ध प्राप्त आरोप प्रपत्र ''क'' के आलोक में विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु इस कार्यालय के ज्ञापांक–viii-35/2016–426/स्था0, दिनांक– 04.07.2016 द्वारा श्री मुकेश कुमार सिन्हा, वरीय उप समाहर्त्ता, खगड़िया को संचालन पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, खगड़िया को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया था।

संचालन पदाधिकारी–सह–वरीय उप समाहर्त्ता खगड़िया द्वारा श्री राजपति पासवान(निलंबित), राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का विधिवत संचालन के पश्चात् जांच प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध समर्पित किया गया है।

अरोप पत्र प्रपत्र ''क'' में श्री पासवान के विरूद्ध निम्नांकित आरोप गठित किये गये:–

आरोप सं0– 01– गैरमजरूआ खास भूमि के नामान्तरण का प्रस्ताव देना एवं जमावंदी कायम करना।

Received
for sphs-
25/09/17

अरोपी कर्मी का स्पष्टीकरण– अरोपी द्वारा समर्पित कारणपृच्छा में बताया गया है कि दाखिल–खारिज वाद सं0–2336/13–14 में उस सम्य में सबंधित भूमि का खतियान उपलब्ध नहीं था। चूंकि संबंधित भूमि की जमाबंदी विक्रेता के नाम से कायम था और क्रेता का उस भूमि पर दखल–कब्जा भी पाया। अतः मेरे द्वारा सीधे नामान्तरण करने की अनुशंसा नहीं की गई, अपितु यह अनुशंसा की गई कि विक्रेता/क्रेता को खास सूचनोपरांत यदि आपत्ति नहीं हो तो नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकती है। नामान्तरण आदेश के पश्चात् उक्त भूमि की रसीद काटने के पूर्व मेरे संज्ञान में यह बात आई कि भूमि गैर मजरूआ खास किस्म की है, जिस कारण मैने सरकारी हित में उक्त भूमि की रसीद नहीं काटा जिसकी सूचना आवेदक के द्वारा जनता दरवार में लगाये गये आरोप के जबाब में जनता दरवार में ही प्रतिवेदन दिया।

उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्यः– आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं दाखिल–खारिज वाद सं0–2336/2013–14 के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री राजपति पासवान द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया कि प्रश्नगत भूमि का प्रकार गैर मजरूआ, खास है। स्पष्टः इनके द्वारा यह

तथ्य छिपाया गया है। अगर जमीन गैरमजरूआ खास थी तो उन्हे नामन्तरण का जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए था।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्यः– गठित आरोप, आरोपी का कारण पृच्छा एवं उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य/प्रतिवेदन के अवलोकन एवं परिशीलन से स्पष्ट होता है कि आरोपी राजस्व कर्मचारी द्वारा नामान्तरण वाद संख्या– 2336/2013–14 में अपना जांच प्रतिवेदन बिहार भूमि दाखिल–खारिज नियमावली 2012 के नियम–1[illegible] के आलोक में समर्पित किया गया जिसमें उनके द्वारा सीधे नामान्तरण किए जाने की अनुशंसा नहीं कर यह प्रतिवेदन दिया गया कि विक्रेता/क्रेता को खास सूचना के उपरांत नामान्तरण की कार्रवाई की जा सकती है।

यद्यपि खतियान की अनुपलब्धता के कारण जांच प्रतिवेवन में भूमि की किस्म पर प्रकाश नहीं डालना तथा भूमि के किस्म के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर राजस्व रसीद नहीं काटने संबंधी आरोप कर्मी को अपना जांच प्रतिवेदन देते समय गैरमजरूआ आम/खास पंजी से संबंधित भूमि का मिलान करना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया। आरोपी कर्मी के संज्ञान में जैसे ही यह तथ्य आया कि संबंधित भूमि गैरमजरूआ खास किस्म की हैं वैसे ही उन्हें इस तथ्य से अपने नियंत्री पदाधिकारी अंचल अधिकारी, खगड़िया को अवगत कराना चाहिए था तथा अविलंब जमाबंदी रद्दीकरण का प्रस्ताव अंचल अधिकारी, खगड़िया के माध्यम से जिला राजस्व शाखा खगड़िया को भेजना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया। इस प्रकार उक्त आरोप अंशतः प्रमाणित होता है।

द्वितीय कारण पृच्छाः– संचालन पदाधिकारी–सह–वरीय उप समाहर्त्ता खगड़िया द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरान्त उपलब्ध कराये गये जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए आरोपी श्री राजपति पासवान से ज्ञापांक–466/स्था0, दिनांक– 24.08.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। श्री पासवान द्वारा दिनांक– 05.09.2017 को प्रस्तुत द्वितीय कारण पृच्छा में वही बातें अंकित किये है जो विभागीय कार्यवाही के दरम्यान प्रस्तुत करण पृच्छा में अंकित किये थे।

आरोपी के विरूद्ध लगाये गये आरोप आरोपी का स्पष्टीकरण उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य एवं संचालन पदाधिकारी–सह–वरीय उप समाहर्त्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये जांच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त **मै जय सिंह (मा0प्र0से0) जिलाधिकारी, खगड़िया श्री राजपति पासवान राजस्व कर्मचारी अंचल–खगड़िया के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित नियमावली 2007 के नियम–14 के तहत निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित करता हूँ।**

1. आरोपी कर्मी द्वारा दी गयी रिर्पोट के आधार पर जितने रकवे की सरकारी भूमि की गलत जमाबंदी व दाखिल–खारिज किया गया है उतने के समरूप राशि की वूसली उनके वेतन अथवा सेवा निवृत्ति देयताओं में से कर लिया जाय। इसके बिना उनके उपावान आदि सभी भुगतान नहीं किये जाऐंगे।

श्री राजपति पासवान राजस्व कर्मचारी को निलंबन से मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही को समाप्त की जाती है। अंचल अधिकारी, खगड़िया उपरोक्त दण्ड की प्रविष्टि उनके सेवा पुस्त में करेंगे।

ह0/-
जिलाधिकारी
खगड़िया

ज्ञापांक 541 /स्था0, दिनांक 23/09/2017

प्रतिलिपि:– श्री राजपति पासवान, राजस्व कर्मचारी खगड़िया अंचल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– अंचल अधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– अपर समाहर्ता खगड़िया/अनुमंडल पदाधिकारी खगड़िया/गोगरी/जिलाधिकारी कार्यालय के सभी शाखा के प्रभारी पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी खगड़िया/सभी अंचल अधिकारी खगड़िया जिला एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, खगड़िया जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी
खगड़िया

④